



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11022022-233331
CG-DL-E-11022022-233331

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106]
No. 106]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 11, 2022/माघ 22, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 11, 2022/MAGHA 22, 1943

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2022

ड्रोन (संशोधन) नियम, 2022

सा.का.नि. 108(अ).—केन्द्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5, धारा 10 की उप-धारा 2, धारा 10 क, धारा 10 ख और धारा 12 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इसकी धारा 14 के परंतुक के अधीन यथा अपेक्षित लोकहित में पूर्व प्रकाशन की शर्त की अभिमुक्ति के पश्चात ड्रोन नियम, 2021 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ड्रोन (संशोधन) नियम, 2022 है।
- (2) ये ड्रोन (संशोधन) नियम, 2022 राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- ड्रोन नियम, 2021 के नियम 3 में (जिसे, इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), उप-नियम (1) में, खंड (फ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-
'(फ) "रिमोट पायलट प्रमाणन पत्र" से नियम 34 के अधीन किसी भी व्यक्ति को, प्राधिकृत रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अभिप्रेत है;'
- उक्त नियमों के नियम 16 में, उप-नियम (1) में, "उक्त तारीख के इकतीस दिनों की अवधि के भीतर" शब्दों के स्थान पर "मार्च, 2022 के 31 वें दिन या उससे पहले" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।
- उक्त नियमों के भाग VI में, उस भाग के अंतर्गत आने वाले शीर्षक के स्थान पर "रिमोट पायलट प्रमाणपत्र" शीर्षक रखा जाएगा और "अनुज्ञप्ति" शब्द के स्थान पर, जहां कहीं भी यह शब्द आता है, "प्रमाणपत्र" शब्द को रखा जाएगा।

5. भाग VII, VIII और XII में, "अनुज्ञप्ति" शब्द के स्थान पर, जहां कहीं भी यह शब्द आता है, "प्रमाणपत्र" शब्द को रखा जाएगा।

6. उक्त नियम के नियम 34 में, उप-नियम (4) को लोप किया जाएगा।

7. उक्त नियम के नियम 35 में, खंड (ग) में, "महानिदेशक" शब्द के स्थान पर "प्राधिकृत रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन" शब्द रखे जाएंगे।

8. उक्त नियम के नियम 53 में, "अनुज्ञप्ति" शब्द को लोप किया जाएगा।

9. उक्त नियम के प्ररूप डी-1 और डी-2 में, भाग ख में, क्रमांक संख्या 15 के पश्चात और भाग ग से पहले, निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण-- क्रम संख्या 10, 11 और क्रम संख्या 12 में डीआईएन, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी भी मंत्रालय, विभाग, पुलिस बल या संस्थान पर लागू नहीं होंगे।"

10. उक्त नियम के प्ररूप डी-3 में, भाग ग में, क्रम संख्या 28 के पश्चात, और भाग घ से पहले, निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण-- क्रम संख्या 23, 24, और क्रम संख्या 25 में डीआईएन, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी भी मंत्रालय, विभाग, पुलिस बल या संस्थान पर लागू नहीं होंगे।"

11. उक्त नियमों के प्ररूप डी-4 में, शीर्षक में "अनुज्ञप्ति" शब्द के स्थान पर "प्रमाणपत्र" शब्द रखा जाएगा।

12. उक्त नियमों के प्ररूप डी-5 में भाग ख में क्रम संख्या 15 के पश्चात और भाग ग के पूर्व निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण—क्रम संख्या 10, 11 और क्रम संख्या 12 में डीआईएन, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी भी मंत्रालय, विभाग, पुलिस बल या संस्थान पर लागू नहीं होंगे।"

[फा. सं. एवी-29017/37/2021-एसडीआईटी-एमओसीए]

अम्बर दुबे, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 589(अ), तारीख 25 अगस्त, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2022

Drone (Amendment) Rules, 2022

G.S.R. 108(E).—In exercise of the powers conferred by section 5, sub-section 2 of section 10 and sections 10A, 10B and 12A of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), and after dispensing with the condition of previous publication in the public interest as required under the proviso to section 14 thereof, the Central Government hereby makes the following rules to amend the Drone Rules, 2021, namely:—

1. (1) These rules may be called the Drone (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 3 of the Drone Rules, 2021 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (1), for clause (t), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(t) “Remote Pilot Certificate” means the certificate issued by an authorised remote pilot training organisation to any individual under rule 34;’.

3. In rule 16 of the said rules, in sub-rule (1), for the words “within a period of thirty-one days falling after the said date”, the words, figures and letters “on or before the thirty-first day of March, 2022,” shall be substituted.

4. In Part VI of the said rules, for the heading occurring under that Part, the heading “REMOTE PILOT CERTIFICATE” shall be substituted and for the word “licence” wherever it occurs, the word “certificate” shall be substituted.

5. In Parts VII, VIII and Part XII of the said rules, for the word “licence” wherever it occurs, the word “certificate” shall be substituted.

6. In rule 34 of the said rules, sub-rule (4) shall be omitted.

7. In rule 35 of the said rules, in clause (c), for the words “Director General”, the words “authorized remote pilot training organization” shall be substituted.

8. In rule 53 of the said rules, the word “licence” shall be omitted.

9. In Forms D-1 and D-2 of the said rules, in Part B, after serial number 15 and before Part C, the following Note shall be inserted, namely:-

“Note.- Serial numbers 10, 11 and DIN in serial number 12 shall not apply to any Ministry, Department, police force or institution under the control of the Central Government or State Government.”.

10. In Form D-3 of the said rules, in Part C, after serial number 28 and before Part D, the following Note shall be inserted, namely:-

“Note.- Serial numbers 23, 24 and DIN in serial number 25 shall not apply to any Ministry, Department, police force or institution under the control of the Central Government or State Government.”.

11. In Form D-4 of the said rules, in the heading, for the word “LICENCE”, the word “CERTIFICATE” shall be substituted.

12. In Form D-5 of the said rules, in Part B, after serial number 15 and before Part C, the following Note shall be inserted, namely:-

“Note.- Serial numbers 10, 11 and DIN in serial number 12 shall not apply to any Ministry, Department, police force or institution under the control of the Central Government or State Government.”.

[F. No. AV-29017/37/2021-SDIT-MOCA]

AMBER DUBEY, Jt. Secy.

Foot note. : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 589(E), dated the 25th August, 2021.